न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः– सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः–20/2024 रेवेन्यु दायर दिनांकः–15.05.2024

1. श्रीमती निमली पत्नी स्व. वीरजी खराडी निवासी खरपेडा तहसील सीमलवाड़ा जिला डुंगरपुर राजस्थान

––वादीया

बनाम

1. श्री कमाल पिता हुका खराडी
2. श्री कालु पिता वीरजी खराडी
3. तुलसी पिता धुला खराडी
4. देवली पत्नी स्व. हुका खराडी
5. नर्वदा पिता हुका खराडी
6. भरत पिता वीरजी खराडी
7. भुरी पिता धुला खराडी
8. मणी पिता हुका खराडी
9. रमीला पिता हुका खराडी
10. राकेश पिता वीरजी खराडी
11. लक्ष्मण पिता हुका खराडी
12. वजा पिता हुरमा खराडी
13. शारदा पिता हुका खराडी
14. हूंकी पिता धुला खराडी निवासी खरपेडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
15. तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपूर राजस्थान।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम</u>
<u>व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थितः–
1. श्री श्रवण रावल वादीया की ओर से।
2. प्रतिवादीगण 1 से 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
3. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

: निर्णय : दिनांक : 26.05.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 एक ही परिवार गांव खरपेडा तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। वादीया व प्रतिवादीगण अपने संयुक्त कब्जे काश्त की भुमि पर कृषि कार्य करने अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम खरपेडा में खाता संख्या 41. खसरा नम्बर 3395, 3400, 3411, 3412, 3435, 3436, 3437, 3438, 3568, 3624 कुल खेत किता 10 कुल रकबा 3.2132

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादीया व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबीज है। वादीया का वास्तविक नाम निमली होने के बावजुद उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम निमडी गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जबकि वादीया के समस्त राजकीय दस्तावेजात में उसका नाम निमली ही है तथा वादीया निमली के नाम से ही जानी पहचानी जाती है।पुरे खरपेडा गांव में निमली पत्नि स्व. वीरजी नाम की एक ही महिला है। तथा निमडी पत्नि स्व. वीरजी नाम की कोई महिला नहीं है।वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में निमडी गलत चल रहा है जबकि उसे सुधार किया जाकर निमली दर्ज किया जाना आवश्यक है। क्योकि निमली पत्नि स्व. वीरजी खराडी नाम का पुरे खरपेडा पंचायत में एक मात्र महिला है।राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं किये जाने पर अकारण ही परेशानी हो रही है। जरीये इन्द्राज दुरुस्ति राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर जिसका वर्णन वाद के कॉलम संख्या 2 में किया है मौजा खरपेडा में खाते में दर्ज नाम निमडी को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम निमली दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करे। वादीया निमली को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीया द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस बाद तामिल रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु दिनांक 12.08.2024 से 15.01.2025 तक कई मौके देने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ एवं न कोई उपस्थित हुआ। न्यायिक मस्तिष्क से प्रतिवादियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार सीमलवाडा की ओर जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि वादीया के पति विरजी के फोत होने से विरासती नामान्तरण के रूप में 20.12.2022 को दर्ज हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के बाद निमली पति स्व. विरजी खराडी के नाम की मौजा खरपेडा में एकमात्र महिला है। ग्राम पंचायत खरपेड़ा द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि श्रीमती निमली पत्नी स्व. श्री विरजी खराड़ी निवासी खरपेड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर की स्थायी निवासी है तथा भरत, कालू व राकेश तीनों निमली की संतानें होकर उनकी चल–अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत खरपेड़ा में स्थित है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया वादीयाका वास्तविक नाम निमली पत्नि स्व. विरजी है। वादीया के राजकीय दस्तावेजों में भी वादीयाका नाम निमली दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली एवं तहसीलदार सीमलवाडा के जवाब

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट, साक्ष्य का अवलोकन किया। जिससे साबित होता है कि वादीया का नाम निमली पत्नि स्व. विरजी होना पाया गया है। उस अनुसार वादीया के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम खरपेडा में खाता संख्या 41. खसरा नम्बर 3395, 3400, 3411, 3412, 3435, 3436, 3437, 3438, 3568, 3624 कुल खेत किता 10 कुल रकबा 3.2132 हैक्टेयर में हिस्सा में वादीया का नाम निमडी के बजाय निमलीरिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश :

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादीया की आराजी ग्राम खरपेडा में खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 3395, 3400, 3411, 3412, 3435, 3436, 3437, 3438, 3568, 3624 कुल खेत किता 10 कुल रकबा 3.2132 हैक्टेयर में हिस्सा में वादीया का नाम निमड़ी के बजाय निमली राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाने तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है एवं वादीया निमली को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.)
पदेन सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा